



कार्यालय, नगर परिषद, शिवहर
(नगर विकास एवं आवास विभाग)

कार्यालय दूरभाष: 06222-257084


Email-ulb.bih.sheohar@gmail.com


आम सूचना

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 अर्न्तगत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक:-4081, दिनांक:-26.12.2024 के आलोक में डोर-टू डोर कचरा संग्रहण, कचरे को स्रोत पर ही पृथक्कीकरण नाली उड़ाही, कम्पोस्टिंग एवं दैनिक साफ-सफाई के देख-रेख हेतु नगर परिषद, शिवहर क्षेत्रान्तर्गत स्वच्छता साथी का चयन किया जाना है। जिसके लिए दिनांक:- 28.12.2024 से दिनांक:-13.01.2025 तक कुल 10 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित की जा रही है।

अतः उक्त कार्य दिवस के अन्दर अपना आवेदन विभागीय दिशा-निर्देश Annexure-2 (सलग्न) के अनुसार जमा कराना सुनिश्चित करें।

नोट:- अधिक जानकारी हेतु कार्यालय नगर परिषद, शिवहर से संपर्क किया जा सकता है।


स्वच्छता पदाधिकारी,
नगर परिषद, शिवहर।


कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, शिवहर।

स्वच्छता साथी के जिम्मेदारी, चयन प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश

1. स्वच्छता साथी कौन होंगे-

- i) स्वच्छता साथी कोई भी भारतीय हो सकता है, परन्तु लोकल व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- ii) अभ्यर्थी की उम्र 40 से अधिक ना हो।
- iii) अभ्यर्थी को कम से कम मैट्रीक पास होना चाहिए।
- iv) अभ्यर्थी की आवाज साफ हो ताकि वे अच्छे से Communicate कर सके।
- v) अभ्यर्थी को स्वच्छता से संबंधित कार्यों में कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- vi) अभ्यर्थी के रूप में Waste Picker, Citizen Leader, SHG member, Swachhagarhi, Sanitation worker, Brand Ambassadors एवं NULM, ASHA, Anganwadi worker, NGOs youth, Community Based Organizations, RWAs से संबंधित व्यक्ति या अन्य कोई भी आवेदन कर सकते हैं।
- vii) निकाय स्तर पर कुल 1900 स्वच्छ साथी का चयन किया जाना है जो निम्नवत् है:-
 - a) नगर निगम स्तर पर कुल- 13 स्वच्छ साथी (पटना में 16)
 - b) नगर परिषद स्तर पर कुल- 10 स्वच्छ साथी
 - c) नगर पंचायत स्तर पर कुल- 05 स्वच्छ साथी

2. स्वच्छता साथी के चयन का उद्देश्य-

- i) शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए नागरिकों को जागरूक करना एवं उन्हें उत्तरदायी बनाना।
- ii) शहर को कचरा मुक्त बनाने में नागरिकों की भूमिका पर उन्हें जागरूक करना।
- iii) नागरिकों के बीच triggering करना और कचरे के लिए असहिष्णुता की भावना को बढ़ाना।
- iv) नागरिकों को स्वच्छ परिवेश के लाभों के प्रति सचेत करना।
- v) कचरा मुक्त शहर बनाने के लिए वांछित व्यवहार अपनाने हेतु प्रेरित करना।

3. अपेक्षित परिणाम-

- i) श्रोत पर कचरे का पृथक्करण करने वाले घरों की संख्या में बढ़ोतरी होगी।
- ii) अपने आस-पास की सफाई बनाए रखने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी।
- iii) कचरे के Collection एवं Transportation के उपयोग हेतु समुदाय प्रेरित होंगे।
- iv) नागरिकों के व्यवहार परिवर्तन में बदलाव।
- v) एकल उपयोग के हानिकारक प्रभाव के प्रति जागरूक होंगे एवं कचरे को कम करने के लिए प्रेरित होंगे।
- vi) नगरिक समय-समय पर Septic tank को desludging करवाने हेतु प्रेरित होंगे।

4. स्वच्छता साथी के चयन की प्रक्रिया-

- i) स्वच्छ साथी को open advertisement के माध्यम से engage किया जाना है:-
 - a) चयन से संबंधित आवेदन की भांग से संबंधित सूचना निकाय स्तर पर कार्यालय के सूचना पट एवं अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर लगाया जाएगा।

- b) Criteria एवं Benefits की विवरणी सूचना में संलग्न होनी चाहिए।
- ii) प्राप्त हुए आवेदन की Selection Criteria के आधार पर जांच एवं मिलान कर Final list बनायी जाएगी।
 - iii) सभी अभ्यर्थियों का one to one interview किया जाएगा।
 - iv) Interview के उपरान्त चयनित अभ्यर्थी के साथ Agreement किया जाएगा।
 - v) Agreement के उपरान्त उन्हें वार्ड आवंटित किया जाएगा।
 - vi) सभी चयनीत उम्मीदवार का Training करवाया जाएगा और उन्हें कार्य, जिम्मेदारी एवं प्रतिवेदन के संबंध में जानकारी दी जाएगी।
 - vii) चयनित उम्मीदवार को कार्य की जिम्मेदारी दी जाएगी।
 - viii) निकाय स्तर पर पदस्थापित स्वच्छ साथी को इस तरह से वार्ड की जिम्मेदारी दी जाएगी की सभी वार्ड आच्छादित हो जाय। (एक से अधिक वार्ड की जिम्मेदारी)

5. स्वच्छता साथी के कार्य की जिम्मेदारी-

- i) अपने संबंधित वार्ड के सभी घरों का भ्रमण करना एवं स्वच्छता से संबंधित जानकारी जुटाना।
- ii) घर के मुखिया को Waste Segregation एवं Home Composting करने हेतु प्रेरित करना।
- iii) घर के मुखिया को सूखे एवं गीले कचरे को अलग-अलग कर निकाय की Collection वाली गाड़ी को देने हेतु प्रेरित करना।
- iv) घर के मुखिया एवं अन्य सदस्यों से मिलकर समस्या का निराकरण करना एवं उन्हें समझाना।
- v) Single use plastic एवं plastic carry bag के उपयोग को बंद करने हेतु प्रेरित करना।
- vi) घर पर ही Waste से Compost बनाने की विधि बताना एवं Compost बनाने हेतु प्रेरित करना।
- vii) वार्ड में छोटे स्तर पर छोटे-छोटे समूह की बैठक कर कचरे के फायदे एवं उससे स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव पर चर्चा करना।
- viii) SHG के समूह की होने वाली Monthly बैठक में सम्मिलित होना तथा स्वच्छता विषय पर चर्चा करना।
- ix) Community Resource Person NULM के साथ समन्वय स्थापित करना।
- x) वार्ड में समाज के प्रबुद्ध एवं प्रमुख व्यक्तियों को Citizen Leader के तौर पर तैयार करना।
- xi) वार्ड पार्षद एवं वार्ड स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- xii) वार्ड के सभी Resident Welfare Association (RWA) से संपर्क स्थापित करना एवं Source Segregation को बढ़ावा देना।
- xiii) वार्ड के सभी विद्यालयों में शौचालय की सफाई को विद्यालय के Management Committee साथ समन्वय स्थापित करते हुए सुनिश्चित करवाना।
- xiv) निकाय स्तर पर निर्मित Community Toilet एवं Public Toilet की स्थिति से लोक स्वच्छता पदाधिकारी को अवगत करना एवं feedback register करने हेतु नागरिकों को प्रेरित करना।
- xv) स्वच्छ सर्वेक्षण की सभी गतिविधियों में सहयोग प्रदान करना।

- xvi) Citizen Feedback हेतु घर-घर जाकर App के माध्यम से Feedback register करना।
- xvii) विभिन्न प्रकार के Poster, Banner लगवाने, नुक्कड़-नाटक Video show, Triggering में सहयोग करना।
- xviii) वार्ड के सभी Bulk Waste Generator जो 100 कि.ग्रा. से ज्यादा Waste प्रतिदिन उत्पन्न करते हो कि पहचान करना।
- xix) समय-समय पर Septic tank का desludging करवाने हेतु प्रेरित करना।
- xx) घर एवं सामुदायिक शौचालय को साफ रखने, किचन से निकलने वाले पानी का सही उपयोग एवं toilet से निकलने वाले पानी से होने वाले नुकसान पर नागरिकों को जागरूक करना।

8. स्वच्छता साथी को मिलने वाले लाभ-

- i) कार्य अवधि पांच घंटे प्रतिदिन न्यूनतम होगी।
- ii) प्रतिदिन की उपस्थिति संधारित की जाएगी।
- iii) छूट्टी हेतु निकाय की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
- iv) मानदेय प्रत्येक माह में एक से पांच तारीख तक देय होगा।
- v) मानदेय कर्मी के Bank Account में ही भेजा जाएगा।
- vi) प्रतिदिन ₹0 300.00 के दर से प्रतिमाह 20 दिन का मानदेय $300 \times 20 = 6000.00$ ₹0 मानदेय के रूप में देय होगा।
- vii) स्वच्छता साथी को Contractual Basis पर एक वर्ष के लिए Hire किया जाएगा, जिसकी अवधि अक्टूबर, 2026 तक बढ़ाई जा सकती है।
- viii) प्रत्येक स्वच्छ साथी को प्रत्येक वर्ष में 200 दिनों के लिए engage किया जाएगा।
- ix) 200 कार्य दिवस प्रत्येक माह में 20 दिन का होगा जो वर्ष के किसी भी 10 माह (स्वच्छ सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए) में मान्य होगा।
- x) सभी स्वच्छ साथी को Monitor करने की जिम्मेदारी लोक स्वच्छता पदाधिकारी की होगी।
- xi) छूट्टी एवं अन्य समस्याओं से संबंधित मामले लोक स्वच्छता पदाधिकारी देखेंगे।
- xii) किये गये कार्य की समीक्षा प्रत्येक माह की जाएगी एवं लगातार तीन माह तक कार्य संतोषजनक नहीं होने पर हटाने की कार्रवाई की जा सकती है।

नोट:- यह किसी भी प्रकार से Permanent Position नहीं है, अतः किसी भी तरह का Claim मान्य नहीं होगा।



कार्यालय, नगर परिषद, शिवहर

(नगर विकास एवं आवास विभाग)

पत्रांक: 22 / न०प०, शिवहर

दिनांक: 03.01.2025

कार्यालय दूरभाष:- 06222-257162

Email- ulb.bih.sheohar@gmail.com

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, शिवहर।

सेवा में,

जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी,
शिवहर।

विषय:-

नगर परिषद, शिवहर क्षेत्रान्तर्गत स्वच्छता साथी के चयन हेतु सूचना प्रकाशन करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगर परिषद, शिवहर क्षेत्रान्तर्गत स्वच्छता साथी के चयन हेतु आम सूचना को जिला के वेबसाईट <https://sheohar.nic.in> पर प्रकाशन हेतु समर्पित किया जाता है।

अनु०:-

कृपया प्राप्ति स्वीकार किया जाए।
यथा- उपरोक्त।

विश्वासभाजन

Me. Jann
3.01.25
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, शिवहर।